कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन
सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल—462004

क्रमांक 10 /निका/आई टी सेल/आउशि/2013 भोपाल दिनांक 06 जुलाई, 2013

प्रति,

समस्त अपर संचालक
समस्त अतिरिक्त संचालक
समस्त संयुक्त संचालक,
समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
कार्यलय आयुक्त उच्च शिक्षा/क्षेत्रीय कार्यालय,मध्यप्रदेश।

विषयः—कार्यालय में स्थापित इंटरनेट कनेक्शन के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश।

समय—समय पर विभाग स्तर से जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सुनिशचित किया जावे कि

1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति अंतर्गत जारी आई टी एक्ट का पालन सुनिश्चित किया जावे।
2 शाखा/संस्था/कार्यालय प्रभारी का दायित्व है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से केवल शासकीय/विभागीय हित में उपयोगी जानकारियॉं संकलित करने के उद्देश्य से ही वेब साईटों का ही अवलोकन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3 विभाग में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं प्रदाय की जा रही हैं, प्रत्येक कम्प्यूटर के पृथक—पृथक आई पी एड्रेस होनें के कारण अवलोकन की गई वेब साईट की रिकार्डिंग की जाती है।
4 कम्प्यूटर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया जावे, ताकि अनाधिकृत/अनावश्यक तत्वों द्वारा इंटरनेट का उपयोग कदापि ना किया जावे।
5 समय—समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर इस प्रकार की व्यवस्था सुचारू एवं निर्बाध रूप से सुचारू है इसका पालन प्रतिवेदन समय—समय पर इस कार्यालय के आई टी सेल को प्रेषित किया जावे।
6 भविष्य में इस प्रकार की अवांछित गतिविधियॉं संचालित पाई जाती है, उस दशा में जिम्मेदारी निर्धारित कर आई टी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही के साथ—साथ पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज कराई जावेगी। ताकि आई टी एक्ट के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया जा सके।
7 विभागीय वेब साईट का प्रति दिवस प्रातः एवं सांय अवलोकन कर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
8 विभाग द्वारा जारी ई मेल आई डी का प्रतिदिवस क्रमांक 2 अनुसार कार्यालय समय में अनिवार्यतः अवलोकन कर ई मेल का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे।

उपर्युक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे तथा अधीनस्थ सर्व संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से को अवगत कराकर उससे पावती प्राप्त की जावे, यदि इंटरनेट के दुरूपयोग की सूचना प्राप्त होती है, उस दशा में संबंधित के विरूद्ध सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए विभागीय स्तर से कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ व्ही एस निरंजन)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ क्रमांक 11 /निका/आई टी सेल/आउशि/2013 भोपाल दिनांक 06 जुलाई, 2013

प्रतिलिपिः—

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2 समस्त उपसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3 प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

.. की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु।

(डॉ व्ही एस निरंजन)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश